"Details of Liquor Vendor Sites"

* 1825. SH. NARENDER GUPTA, MLA: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

- a. the area wise details and the name of the places where the sites has been allotted for the liquor vendor taverns in the Faridabad 89 Assembly Constituency;
- b. the total amount of rent per month being collected from the said allotted area together with the details thereof;
- c. whether it is a fact that the allottees have possessed more space than the allotted area; if so, the action taken by the Government in this regard so far together with the details thereof; and
- d. whether it is also a fact that the amount of rent is taken by the Government in advance at the time of allotment; if not, the total amount of rent still pending?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER-CUM-EXCISE AND TAXATION MINISTER, HARYANA

Sir,

a) The area wise details and the names of places where the sites have been allotted for the liquor vendor tavern on land allotted by Government/Government Authority in the Faridabad-89 assembly constituency are as under:-

Sr. No.	Zone Number	Name of Place	
1	ZFBD84	SRS Mall, Sector-12, Faridabad	
2	ZFBD81	Sector-16, Faridabad	

The land for above two taverns is allotted by Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP).

b) The total amount of rent per month being collected by HSVP for the allotted area:-

Sr. No.	Name of Place	Rent	Area Allotted
1	SRS Mall, Sector-12	94500/- per month	420 Sq. Mtr
2	Sector-16	61758/- per month	255 Sq. Mtr.

- c) No Sir, the other part of the question does not arise.
- d) The method of recovery of due rent is decided by the concerned authority and HSVP has informed that no amount of rent is outstanding.

शराब विक्रय स्थानों का विवरण

*1825. श्री नरेंद्र गुप्ता, विधायकः क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में उन स्थानों के क्षेत्रवार विवरण और नाम जहां शराब विक्रेता आहातों के लिए स्थल आवंटित किए गए हैं;
- (ख) उक्त आबंटित क्षेत्र से एकत्र किए जाने वाले प्रति माह किराए की कुल राशि, उसके ब्यौरे सहित;
- (ग) क्या यह सच है कि आवंटियों के पास आवंटित क्षेत्र से अधिक स्थान है; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा
- (घ) क्या यह भी सच है कि किराए की राशि सरकार द्वारा आवंटन के समय अग्रिम रूप से ली जाती है; यदि नहीं, तो किराए की कितनी कुल राशि अभी भी लम्बित है?

दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री-कम-आबकारी एवं कराधान मंत्री, हरियाणा।

महोदय,

क) फरीदाबाद—89 विधानसभा क्षेत्र में शासन / सरकारी प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर शराब विक्रेता आहातों के लिए क्षेत्रवार विवरण एवं स्थान आवंटित किये गये स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं:—

क्रम संख्या	जोन संख्या	स्थान का नाम	
1	ZFBD84	एसआरएस मॉल, सैक्टर—12, फरीदाबाद	
2	ZFBD81	सैक्टर—16, फरीदाबाद	

उपरोक्त दो आहातों के लिए भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा आवंटित की गई है।

ख) आवंटित क्षेत्र के लिए एचएसवीपी द्वारा एकत्र की जा रही प्रति माह किराए की कुल राशि है:—

क्रम संख्या	जोन संख्या	किराया	क्षेत्रफल
1	एसआरएसमॉल, सैक्टर—12, फरीदाबाद	94500/- प्रतिमाह	420 वर्ग मीटर
2	सैक्टर—16, फरीदाबाद	61758/- प्रतिमाह	255 वर्ग मीटर

- ग) नहीं श्रीमान जी, प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नही उठता।
- घ) देय किराए की वसूली की विधि संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है और एचएसवीपी ने सूचित किया है कि किराए की कोई राशि बकाया नहीं है।
